## -: कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक विसबल (मुख्यालय) पु0मु0 भोपाल :-

### :: विज्ञापन ::

| ऑनलाईन आवेदन-पत्र | |
|---|---|
| ऑनलाईन आवेदन भरने की प्रारम्भ तिथि : 05.04.2026 | ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि : 19.04.2026 |
| ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि : 05.04.2026 | ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि : 24.04.2026 |

| परीक्षा शुल्क | | |
|---|---|---|
| पुलिस विभाग की विभागीय परीक्षा शुल्क | अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए | रु0 500/- |
| | अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ावर्ग/ ई.डब्ल्यू.एस. अभ्यर्थियों के लिए ।<br>(केवल म.प्र. के मूल निवासियों के लिए) | रु0 250/- |
| **ऑनलाईन आवेदन** :- एम.पी. ऑनलाईन का पोर्टल शुल्क रूपये 150/- +18% GST Extra देय होगा । | | |

**टिप्पणी:-**

1. मध्यप्रदेश के समस्त जिलों में पुलिस बैण्ड की स्थापना के संबंध में विभिन्न पुलिस इकाईयों में बैण्ड दल में सीधी भर्ती से नियुक्त किये जाने वाले पुरुष आरक्षक (बैण्ड) के पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जावेगी। आरक्षक (बैण्ड) के पदों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाये अनुसार है। इन पदों पर नियुक्ति हेतु इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन पत्र दिनांक 05.04.2026 से 19.04.2026 तक आमंत्रित किये जाएंगे। उम्मीदवार केवल एमपी ऑनलाइन पर आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन पत्र स्वीकार करने की अन्तिम तिथि दिनांक 19.04.2026 के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। आवेदक को शारीरिक नापतौल हेतु नियत तिथि पर समिति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य होगा। नापतौल हेतु नियत दिनांक के उपरांत शारीरिक नापतौल नहीं किया जावेगा। उम्मीदवारों को शारीरिक नापतौल के लिए दिनांक एवं स्थान की सूचना ई-मेल, एसएमएस, व्हाट्सऐप के माध्यम से पृथक से दी जायेगी।
2. अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है।
3. अभ्यर्थी को आयोजित परीक्षा में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदान पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। यु.आई.डी.ए.आई. (UIDAI) के द्वारा सत्यापित होने पर ही ई आधार मान्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जायेगा।
4. अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड/ ई- आधार कार्ड/ आधार कार्ड की छायाप्रति/ आधार नंबर/ आधार VID की जानकारी लाना अनिवार्य है।
5. परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलंब से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नही होगी।
6. ऑनलाईन आवेदन पत्र क्रमांक के द्वारा अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अत: आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।

आरक्षक (बैण्ड) के पद राज्य स्तरीय केडर का पद है। विभिन्न वर्गो के आरक्षण हेतु राज्य स्तरीय रोस्टर अनुसार विभिन्न वर्गो के पद निम्नानुसार है:-

| आरक्षक (बैण्ड) | UR | | SC | ST | OBC | | | EWS | TOTAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27% | 13% (काल्पनिक) | 16% | 20% | 27% | 14% | 13% प्रावधिक | 10% | 87% | 13% | 100 |
| Open | 138 | 66 | 81 | 102 | 137 | 71 | 66 | 51 | 443 | 66 | 509 |
| HG | 28 | 13 | 16 | 20 | 28 | 15 | 13 | 10 | 89 | 13 | 102 |
| Ex.Ser. | 18 | 09 | 11 | 14 | 18 | 09 | 09 | 07 | 59 | 09 | 68 |
| **Total** | **184** | **88** | **108** | **136** | **183** | **95** | **88** | **68** | **591** | **88** | **679** |

- **उक्त पदों के लिए महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगीं।**

(2) परिभाषाएं:-

I. "आरक्षण" से अभिप्रेत है सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिये पदों का आरक्षण.

ii. "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमें का यूथ जिसे संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रुप में विनिर्दिष्टि किया गया है.

iii. "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें का यूथ, जिसे संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जन जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है.

iv. "अन्य पिछडे वर्ग से अभिप्रेत है राज्य सरकार व्दारा समय-समय पर संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5 पच्चीस-4-84 तारीख 26 दिसम्बर 1984 व्दारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग किसी रिक्त के संबंध में अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है.

v. "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार व्दारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक 07-11/2019/आ.प्र.एक दिनांक 02 जुलाई 2019 में यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.)

vi. "विभाग" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश पुलिस विभाग जिसके अंतर्गत रिक्त पदों पर भर्ती किया जाना है.

vii. "समिति" से अभिप्रेत है विसबल मुख्यालय व्दारा गठित की गई चयन समिति.

viii. "प्रथम चरण से अभिप्रेत है विसबल मुख्यालय द्वारा आयोजित स्किल टेस्ट.

ix. "व्दितीय चरण" से अभिप्रेत है-प्रथम चरण परीक्षा के बाद विसबल मुख्यालय व्दारा ली जाने वाली बैण्ड वादन परीक्षा.

x. "होमगार्ड सैनिक से अभिप्रेत है होमगार्ड गैर-कमीशन अधिकारी जिन्होंने इन पदों पर सक्रिय सेवा के 3 वर्ष पूरे कर लिए हैं.

xi. "भूतपूर्व सैनिक" से अभिप्रेत है निम्नलिखित श्रेणी के मध्यप्रदेश के अधिवासी (domicile) भूतपूर्व सैनिक आयु में छूट के लिए पात्र हैं परंतु सेना में सेवारत सैनिक को भूतपूर्व सैनिक नहीं कहा जा सकता, भले ही सेना में उसकी सेवा की अवधि आने वाले समय में पूरी हो रही हो ।

क. भूतपूर्व सैनिक जो सेवानिवृत्त रियायतों के अधीन सेवानिवृत हुए हैं (मास्टरिंग रियायतें);

ख. भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दूसरी बार भर्ती किया गया है, और अल्पकालिक सेवा पूर्ण होने पर, उन्हें भर्ती की शर्तें पूरी करने पर कार्यमुक्त किया गया है.

ग. अधिकारी (सैनिक या नागरिक) जो अपने अनुबंध के पूरा होने पर सेवा सेवानिवृत हुए हैं (अल्पकालिक सेवा के नियमित कमीशन अधिकारियों सहित)

घ. अवकाश रिक्तियों पर 6 महीने से अधिक समय तक लगातार कार्य करने के सेवानिवृत होने वाले अधिकारी.

ड. असमर्थता के कारण सेवा से हटाए गए भूतपूर्व सैनिक.

च. भूतपूर्व सैनिक जो इस आधार पर सेवानिवृत हुए हैं कि वे अब सक्षम सैनिक नहीं बन पाएंगे.

छ. गोली, घाव आदि के कारण चिकित्सा आधार पर सेवा से हटाए गए भूतपूर्व सैनिक.

(3) सामान्य :-

i. अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है.

ii. शासन के आदेश के अनुसार, कोई भी अभ्यर्थी जिसके 2 से अधिक जीवित बच्चे हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद हुआ है, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, लेकिन यदि एक बच्चा जीवित है और बाद के प्रसव में 2 या अधिक बच्चे जन्म लेते हैं तो, उसे अयोग्य नहीं माना जाएगा.

iii..अभ्यर्थी के पास दिनांक 19.04.2026 तक निम्नलिखित संबंधित सभी आवश्यक प्रमाण पत्र अनिवार्यतः होने चाहिये.

क. आयु एवं उसमें छूट

ख. शिक्षा

ग. होमगार्ड/भूतपूर्व सैनिक

इनके साथ-साथ शेष अन्य सभी वांछित दस्तावेज शारीरिक परीक्षण के समय होने वाले दस्तावेज परीक्षण के समय प्रस्तुत करने होंगे.

iv. ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय कर्मचारी है उन्हे आवेदन भरने की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को पूर्व से देनी होगी। कार्यभार ग्रहण करते समय नियुक्ति प्राधिकारी की अनुमति प्रस्तुत करनी होगी.

v. शासकीय/अर्ध-शासकीय या भूतपूर्व सैनिकों के मामले मे अनुशासनिक आधार पर अयोग्य या सेवा से हटाए गए अभ्यर्थी भर्ती के लिये पात्र नहीं होगें.

vi. नियुक्ति आदेश में निर्धारित दिनांक को समय पर उपस्थित नहीं होने वाले चयनित अभ्यर्थियों के नाम चयन सूची से हटा दिये जायेंगे और उनका नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा. इस संबंध में चिकित्सा प्रमाण-पत्र या अन्य आधार स्वीकार्य नहीं होगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी के लिखित आदेश व्दारा उपस्थित होने की तिथि से पहले विशेष रूप से अनुमति न दे दी जाए.

vii. म.प्र. शासन गृह पुलिस विभाग के परिपत्र क्र.एफ-2 (अ)/541/92/ब(4) /दो भोपाल दिनांक 04.04.1995 के व्दारा निःशक्तजनों से पुलिस विभाग को मुक्त रखा गया है।

viii. सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल द्वारा जारी आदेश क्रमांक सी 3-9/2019/1/3 भोपाल, दिनांक 6 अप्रैल 2023, सी 3-9/2019/1/3 भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2022 के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 14/04/1972 के निर्देश मे विभिन्न वर्गों को शासकीय सेवा मे नियुक्ति के लिए प्राथमिता क्रम एवं इनके साथ ही ज्ञाप क्रमांक 172/2184/1/3/8 दिनांक 27 फरवरी, 1982 के द्वारा जनगणना 1981 अतिशेष एवं ज्ञाप क्रमांक एफ सी-3-31-90-49-3 दिनांक तंम्बर,1990 निर्वाचन अतिशेष कर्मचारियों की प्राथमिकता निम्नानुसार निर्धारित की गई है:-

| | |
|---|---|
| 01 | हाल के भारत-पाक संघर्ष में मृत सैनिकों के प्रत्येक सैनिक के परिवार के अधिक से अधिक 2 आश्रित व्यक्तियों को |
| 02 | निर्वाचन के अतिशेष कर्मचारी |
| 03 | अतिशेष कर्मचारियों को |
| 04 | जनगणना 1981 के अतिशेष कर्मचारी |
| 05 | कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को |
| 06 | राष्ट्रीय छात्र (NCC) के उम्मीदवारों को जिनके पास "सी" प्रमाण-पत्र |
| 07 | बर्मा एवं सिलोन से आये हुए भारतीय नागरिकों को - |

" उपरोक्त वर्गों के उम्मीदवारों को बैण्ड वादन परीक्षा में प्राप्तांक के 05 प्रतिशत अंक अतिरिक्त प्रदान किये जायेगें।"

**(4) पद का वेतनमान :**

| पदनाम | वेतनमान |
|---|---|
| आरक्षक (बैण्ड) | 19500-62000 |

नोट :- म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक सी. 3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 के अनुसार वेतनमान न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत स्टायपेंड देय होगा. दिये गये समस्त संवर्गों के वेतनमान के अलावा समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ता तथा परिलब्धियाँ देय होंगी. म०प्र० शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ9/3/2003/नियम-4 दिनांक 13.4.2005 एवं क्र एफ-9/डी/2003 नियम 4 दिनांक 2.7.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू की गई है।

(5) पदों पर भर्ती:

i. विज्ञापित पदों की संख्या में परिवर्तन अर्थात कमी अथवा वृद्धि हो सकती है।

ii. सभी पद तृतीय श्रेणी के हैं।

iii चयनित अभ्यर्थियों को मेरिट सूची में उनके क्रमानुसार, विभिन्न इकाईयों में आवंटन विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार किया जाएगा।

iv.जो अभ्यर्थी जिस इकाई मे नियुक्त किया जाएगा वहाँ उसे कम से कम 5वर्ष की सेवा पूर्ण करनी होगी, उसके बाद ही वह अन्य इकाई मे स्थानांतरण का पात्र हो सकेगा.

v.चयनित अभ्यर्थियों को गृह जिले में पदस्थापना नही दी जाएगी.

vi. किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक हो, इस बात के अध्यधीन अनंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि राज्य शासन व्दारा उसके पक्ष मे आवश्यक प्रमाण पत्र अंततः जारी कर दिया जाए.

vii. ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के स्थाई अधिवासी (domicile) नहीं हैं, सिर्फ अनारक्षित ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते है, ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा तथा उनकी आयु सीमा 19.04.2026 को अधिकतम 33 वर्ष होनी चाहिए अर्थात् किसी भी प्रकार के आरक्षण की पात्रता हेतु म.प्र. राज्य का स्थाई अधिवासी (domicile) प्रमाण पत्र अनिवार्य है।

viii. स्वंय सेवी नगर सैनिक तथा नगर सैनिक नान कमीशण्ड अधिकारियों के मामले में आवेदन करने की अंतिम दिनांक को इन पदों पर उनकी 3 वर्ष की सक्रिय सेवा पूरी होना चाहिए.

(6) न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएें:-

A. आरक्षक (बैण्ड) के लिए न्यूनतम अर्हता निम्नानुसार है:-

| क्र0 | पदनाम | अनारक्षित/अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु शैक्षणिक अर्हता | अनुसूचित जनजाति हेतु शैक्षणिक अर्हता |
|---|---|---|---|
| 1. | आरक्षक (बैण्ड) | मान्यता प्राप्त किसी मण्डल/संस्था से 10+2 प्रणाली के अन्तर्गत 10वी कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण | 8वी कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण |

B. शैक्षणिक अर्हता में कोई छूट नहीं दी जावेगी, किन्तु अपवादित मामले में समिति, नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिश पर किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगी, जिसके पास यद्यपि इस खण्ड में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता नहीं हो, किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं व्दारा संचालित परीक्षा ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो जो समिति की राय में अभ्यर्थी को परीक्षा चयन के लिए पात्र समझती हो, समिति अपने विवेकानुसार ऐसे अभ्यर्थियों को भी परीक्षा चयन में सम्मिलित कर सकेगी, जो अन्यथा अर्ह हो, किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विद्यालय से उपाधियाँ प्राप्त की हों जो सरकार व्दारा विनिर्दिष्ट रुप से मान्यता प्राप्त न हो.

**(7) निर्धारित आयु सीमा :**

i. सामान्य

क. दिनांक 19.04.2026 को विहित आयु पूरी करनी चाहिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम आयु से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

ख. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्र.3-8/2016/3 भोपाल दिनांक 05 जून 2017 एवं संशोधित परिपत्र क्र.सी 3-14/2019 एक/3 भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2019 के अनुसार राज्य सरकार की वर्दीधारी सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता के माध्यम से सीधी भर्ती के लिए भरे जाने वाले पदों के लिए आयु- सीमा में अधिकतम छूट-

| स0क्र0 | आवेदक | श्रेणी | अधिकतम आयु सीमा |
|---|---|---|---|
| 1. | पुरूष | मध्यप्रदेश के अनारक्षित | 33 वर्ष |
| 2. | पुरूष | मध्यप्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थी | 33 वर्ष |
| 3. | पुरूष | अन्य प्रदेश के अधिवासी सभी अभ्यर्थी | 33 वर्ष |
| 4. | पुरूष | आरक्षित श्रेणी (अनु0जाति/ अनुसूचित जनजाति/ एवं अन्य पिछड़ावर्ग) म0प्र0 के अधिवासी अभ्यर्थियों के लिए | 38 वर्ष |
| 5. | पुरूष | शासकीय/ निगम/मण्डल/ स्वात्तव संस्थान के कर्मचारी और होमगार्ड (म0प्र0 के अधिवासी अभ्यर्थी) | 38 वर्ष |
| 6. | पुरूष | अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के अर्न्तजातीय विवाह (म0प्र0 के अधिवासी अभ्यर्थी) | 38 वर्ष |
| 7. | पुरूष | अनारक्षित श्रेणी विक्रम पुरस्कार (म0प्र0 के अधिवासी अभ्यर्थी) | 33+05=38 |
| 8. | पुरूष | आरक्षित श्रेणी विक्रम पुरस्कार (म0प्र0 के अधिवासी अभ्यर्थी) | 38+05=43 |

नोट:- सामान्य प्रशासन विभाग म.प्र.शासन के आदेश क्र. सी 3-8/2016/3-एक भोपाल दिनांक 12 मई 2017 के अनुसार प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों को किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा में छूट प्राप्त नहीं होंगी ।

ii. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र के नमूने इस नियम पुस्तिका में दर्शाए गए हैं।

iii. मध्यप्रदेश के स्थायी निवासियों को प्रोत्साहन स्वरुप आयु सीमा में छूट :-

क."विक्रम पुरस्कार से सम्मानित अभ्यर्थियों के मामले में, आयु में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी.

ख. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत सम्मानित दंपति के उच्च जाति के पति या पत्नी के मामले में आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक छूट दी जाएगी. इस संबंध में विवाह पंजीयनकर्ता शासकीय अधिकारी का पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की दिनांक के पूर्व का प्रस्तुत करना होगा।

ग. प्रोत्साहन स्वरुप आयु सीमा में मिलने वाली छूटों के अन्तर्गत यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में मिलने वाली सर्वाधिक अधिकतम लाभ वाले एक आधार के लिये छूट मिलेगी.

घ. प्रोत्साहन स्वरुप आयु सीमा में मिलने वाली छूटें, मिलने वाली सामान्य छूटों के अतिरिक्त होगी.

iv. स्वय सेवी नगर सैनिक तथा नगर सैनिक नॉन कमीशण्ड अधिकारियों के मामले में आवेदन करने की अंतिम दिनांक को इन पदों पर उनकी 3 वर्ष की सक्रिय सेवा पूरी होना चाहिए, अनुशासनहीनता, दुराचरण अथवा अस्वस्थता अथवा भगोड़े होने के कारण पृथक किये गये नगर सैनिकों को इस सवर्ग के अन्तर्गत नियुक्ति की पात्रता नहीं होंगी, अतः उन्हें आयु सीमा में छूट की पात्रता का प्रश्न ही नहीं उठता।

v. भूतपूर्व सैनिकों के लिए आयु में छूट:-

उन अभ्यर्थियों को जो भूतपूर्व सैनिक संवर्ग के अन्तर्गत आते हैं उसकी वर्तमान आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने की पात्रता होगी, बशर्ते इसके परिणाम स्वरुप उनकी आयु आवेदक की पात्रता की उच्च सीमा से 3 वर्ष से

अधिक नहीं होगी. भूतपूर्व सैनिक की पात्रता रखने वाले उम्मीदवारों के संबंध में सैनिक की रक्षा सेवा में नियमानुसार पेंशन प्राप्त करता हो अथवा अशक्त होने पर चिकित्सा संगठन व्दारा अशक्त पेंशन प्राप्तकर्ता को ही भूतपूर्व सैनिक माना गया है. दुराचरण अथवा अक्षमता के आधार पर सेना से निष्कासित किये गये व्यक्तियों को भूतपूर्व सैनिको के लाभ प्राप्त नहीं होंगे.

स्पष्टीकरण 1:- शब्द "भूतपूर्व सैनिक एक ऐसे व्यक्ति की घोषणा है जो नियम 2 के उपनियम "xi की श्रेणियों में से किसी से संबंधित है और जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की निरंतर कालावधि तक नियोजित रहा हो या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अथवा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई हो या अधिशिष्ट घोषित किया गया हो।

स्पष्टीकरण 2:- किसी भूतपूर्व सैनिक ने यदि अतीत में किसी शासकीय सेवा में शामिल होने का लाभ उठाया है, तो उसे भविष्य की भर्ती के लिए भूतपूर्व सैनिक नहीं कहा जाएगा. वे भूतपूर्व सैनिक उनके लिये हॉरीजोन्टल आरक्षण के लाभ के लिये पात्र नहीं होगें. सी.आर.पी.एफ, बी.एस.एफ, आई.टी.बी.पी.आदि केन्द्र शासन के अर्द्धसैनिक या पुलिस बलों के सदस्यों को आयु में छूट की पात्रता नहीं है।

vi. मध्यप्रदेश राज्य शासन के निगम मण्डल के कर्मचारियों को भी आयु सीमा में छूट के प्रयोजन के लिये शासकीय सेवक माना गया है। यह छूट आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, कार्यभारित कर्मचारी/परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी। शासकीय सेवकों को उक्त छूट की पात्रता प्राप्त करने के लिये अपने वर्तमान नियुक्ति प्राधिकारी से लिखित पूर्वानुमति को शारीरिक दक्षता परीक्षण में दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा. उम्र में छूट नहीं ले रहे शासकीय सेवकों को पुलिस सेवा में नियुक्ति पूर्व अपने वर्तमान नियुक्ति प्राधिकारी की लिखित अनुमति प्रस्तुत करनी होगी.

vii. यहाँ स्पष्ट करना आवश्यक है कि स्थानीय निकायों जैसे जिला पचायत, जनपद पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका आदि में कार्यरत संविदा शिक्षक, सहायक अध्यापक आदि जो स्थानीय निकाय के कर्मचारी है, उन्हें अधिकतम आयु सीमा में छूट प्राप्त नहीं है।

viii. छटनी किये गये शासकीय कर्मचारी को उसकी आयु सीमा में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 07 वर्ष की कालावधि भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवाओं के कारण हो कम करने की अनुज्ञा दी जायेगी, बशर्ते की इसके परिणाम स्वरुप ऐसे अभ्यर्थी की आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं हो. छटनी किये गये सरकारी कर्मचारी से

तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से हैं, जो मध्य प्रदेश शासन अथवा किन्हीं भी संघटक ईकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में निरन्तर कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों कीसंख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो. अनुशासनहीनता, दुराचरण अथवा अस्वस्थता के आधार पर सेवामुक्त किये गये भूतपूर्व शासकीय कर्मियों को इस सेवा में नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी. अतः इन्हे आयु सीमा में छूट की पात्रता भी नहीं होगी ।

ix केन्द्र शासन अथवा अन्य राज्यों के सेवारत अथवा भूतपूर्व शासकीय सेवकों को आयु में किसी ऐसी छूट की पात्रता नहीं है, जो इन नियमों में नहीं दी गई.

x. आयु सीमा में छूट के तहत, यदि किसी अभ्यर्थी के पास एक से अधिक छूट के आधार है,तो उसे आयु सीमा में अधिकतम लाभ के साथ छूट मिलेगी.

xi. संविदा पर कार्यरत अन्य मानद कर्मचारियों या स्वैच्छिक कर्मचारियों जैसे कि "शिक्षाकर्मी' 'पंचायत कर्मी' आदि कर्मचारियों को आयु में छूट की सुविधा नही मिलेगी.

xii. किसी भी अन्य प्रकरण में आयु सीमा शिथिल नहीं की जायेगी. उच्चतर आयु सीमा मे शिथिलता चाहने वाले उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश अधिवासी (domicile) सहित, निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र,शारीरिक दक्षता परीक्षण में दस्तावेज सत्यापन के समय पेश करना होगा.

(8) भर्ती परीक्षा योजना :-

.बैण्ड भर्ती प्रक्रिया तीन चरणों में सम्पन्न होगी - प्रथम चरण में "**स्किल टेस्ट**" एवं द्वितीय चरण में "बैण्ड वादन टेस्ट" एवं तृतीय चरण में साक्षात्कार होगा । उक्त चरण निम्नानुसार रहेंगे:-

i.. उम्मीदवार को निम्नांकित **सूची "A"** में से किसी एक वाद्ययंत्र को बजाने का ज्ञान होना अनिवार्य है। सूची **"B"** के वाद्ययंत्र **"वांछनीय"** हैं।

**सूची "A"**

1.पिकलो (Piccolo)
2.कान्सर्ट फिल्यूट(concert flute)
3.ओबो (Oboe)
4.क्लारिनेट (Clarinet)
5.आल्टो सेक्सोफोन (Alto saxophone)
6.टेनर सेक्सोफोन (Tenor saxophone)
7. फ्रेंच हार्न (French Horn)
8. ट्रम्पिट (Trumpet)
9. कॉरनेट (Cornet)
10 ट्रम्बोन (Trombone)
11. बसून (Bassoon)
12. इफोनियम (Euphonium)
13. बेस ट्यूबा ( Bass Tuba)
14. बैग पाईप (Bag Pipe)
15. टेनर ड्रम (Tenor Drum)
16. बिगुल (Bugle)
17. साईड ड्रम (side Drum)
18. बेस ड्रम (Bass Drum)

<u>**सूची "B"**</u>

1. की-बोर्ड/आर्गन/प्यानों
2. गिटार(ध्वनिक/लीड/बेस)
3. वायलिन/वायोला/स्ट्रिंगबेस
4. प्रकाशन/ड्रम(ध्वनिक/इलैक्ट्रिानिक्स)
5. भारतीय शास्त्रीय वाद्ययंत्र
(सितार,तबला,हरमोनियम,बांसुरी,सरोद, सारंगी, संतूर)

**नोट-** यदि किसी उम्मीदवार को उपरोक्त **सूची- "A"** के साथ-साथ **सूची- "B"** के किसी वाद्ययंत्र के वादन का ज्ञान है, तो वह उसकी अतिरिक्त योग्यता मानी जायेगी। जिसके लिए उसे पृथक से बोनस अंक दिये जायेगें।

a. प्रथम चरण स्किल टेस्ट- बैण्ड भर्ती में आने वाले अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग करने के लिए प्रथम चरण में उम्मीदवार का "**स्किल टेस्ट**" लिया जायेगा। "स्किल टेस्ट" में उपरोक्त सूची "A" में दर्शित वाद्ययंत्रों में उम्मीदवार का उसकी पसंद के किसी एक वाद्ययंत्र का टेस्ट लिया जायेगा जिसके परिणाम उपरांत उसे द्वितीय चरण (बैण्ड वादन टेस्ट) की पात्रता होगी । स्किल टेस्ट में कोई अंक देय नहीं होगा।

b. व्दितीय चरण बैण्ड वादन टेस्ट :-

बैण्ड वादन टेस्ट- बैण्ड वादन टेस्ट हेतु 75 अंक निर्धारित है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

(अ) ट्रेड संबंधी टेस्ट - 60 अंक (**सूची- "A"** में अंकित वाद्ययंत्र)

(ब) बोनस-15 अंक :- सूची "B" में अंकित वाद्ययंत्रों में प्रत्येक वाद्ययंत्र के 05 बोनस अंक निर्धारित रहेगे। यदि किसी उम्मीदवार को सूची "B" के एक से अधिक वाद्ययंत्रों के वादन का ज्ञान है, तो उसे प्रत्येक वाद्ययंत्र के 05 अंक के मान से बोनस अंक दिये जायेंगे । बोनस के अधिकतम अंक 15 होगें ।

(स) वर्टिकल श्रेणी के विज्ञापित पदों के विरूद्ध तीन गुना अभ्यर्थियों को कट-ऑफ अंकों के अनुसार साक्षात्कार के लिए चुना जायेगा ।

(द) होरीजेण्टल श्रेणियों के लिए पृथक से कट-ऑफ अंकों का निर्धारण नहीं किया जायेगा ।

(ई) आरक्षक (बैण्ड) हेतु उम्मीदवारो की लिखित परीक्षा नही होगी। उनके ट्रेड के संबंध में उनका टेस्ट लिया जायेगा जो 75 अंको का होगा । जिसमें 60 अंकों का ट्रेड टेस्ट एवं 15 अंक बोनस हेतु निर्धारित रहेगें। बैण्ड टेस्ट मे उम्मीदवारों द्वारा ब्रास अथवा पाईप बैण्ड के वाद्य यंत्रो के वादन का परीक्षण किया जायेगा इस टेस्ट में सफलता प्राप्त करने के लिये जीओपी-147/2019 के अनुसार सामान्य जाति एवं पिछडा वर्ग तथा ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारो को 50 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

C. साक्षात्कार:-

1. बैण्ड टेस्ट में जो उम्मीदवार सफल होंगे उनका साक्षात्कार लिया जायेगा साक्षात्कार के 25 अंक निधारित होगें जो उम्मीदवार से संबंधित ट्रेड ज्ञान, एनसीसी, खेलकूद, व्यक्तित्व, अभिव्यक्ति, सम्बोधन एवं सामान्य ज्ञान आदि के आधार पर दिये जायेंगें। साक्षात्कार के स्थान एवं दिनांक की सूचना उम्मीदवार को एमपी ऑनलाईन के माध्यम से ई-मेल, एसएमएस एवं व्हाट्सऐप के माध्यम से दी जायेगी। बैण्ड टेस्ट एवं साक्षात्कार के आधार पर सामान्य जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग तथा ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों की प्रवीणता सूचियां अलग- अलग तैयार की जायेगी और प्रवीणता सूचियो में से रिक्तियो के आधार पर सफल उम्मीदवारो की सूचियाँ बनायी जाएगी।
2. चयन समिति द्वारा अनुशंसित सूचियॉं भर्ती से संबंधित समस्त अभिलेख पुलिस महानिरीक्षक विसबल (मुख्यालय) पु0मु0 भोपाल को अनुमोदनार्थ भेजी जायेगी। अनुमोदन उपरांत सफल उम्मीदवारों की सूची एमपी ऑनलाईन के चयन पोर्टल पर प्रदर्शित की जायेगी।

**(9) शारीरिक मापदण्ड:-**

**शारीरिक मापदण्ड-** भर्ती के लिये उम्मीदवारों की निम्नलिखित अर्हतायें अनिवार्य है:-

i.

| क्र0 | आरक्षक(बैण्ड) पदों के लिये | वर्ग | उंचाई | सीना केवल पुरूषो के लिये | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | बिना फुलाव | फुलाव सहित |
| 1 | सामान्य जाति अन्य पिछडा वर्ग एवं ईडब्ल्यूएस | पुरूष | 168 से.मी. | 81 से.मी. | 86 से.मी. |
| 2 | मराठा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति | पुरूष | 165 से.मी. | 79 से.मी. | 84 से.मी. |
| 3 | गोरखा, गढवाली, कुमाउ | पुरूष | 158 से.मी. | 76 से.मी. | 81 से.मी. |

ii. जहाँ भी लागू हो, यदि सीने का माप न्यूनतम निर्धारित माप से अधिक है, तो उसे कम से कम 5 सें.मी.फुलाना अनिवार्य होगा।

iii. शारीरिक मापदण्डों में किसी भी स्तर पर छूट नहीं दी जाएगी.

(10) स्वास्थ्य मापदण्डों का निम्नलिखित परीक्षण जिला चिकित्सा बोर्ड व्दारा किया जाएगा:-

i. कद का माप

ii. सीने का फुलाव

iii. दृष्टिः अभ्यर्थियों को कोई नेत्र रोग विकार नहीं होना चाहिए और बिना चश्में के दृष्टि की तीव्रता 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए और दूसरी आँख की दृष्टि तीव्रता बिना चश्में के 6/12 से कम नहीं होना चाहिए. अभ्यर्थियों को मुख्य रंगों में अंतर करने में सक्षम होना चाहिए जिसका इशिहारा प्लेटों के माध्यम से परीक्षण किया गया हो.

iv. नॉक-नी तथा फ्लेट फुट नहीं होना चाहिए.

v. अभ्यर्थी का शरीर किसी भी प्रकार से अपंग नहीं होना चाहिए.

स्वास्थ्य विभाग व्दारा मेडिकल परीक्षण के संबंध में जिला, संभाग एवं राज्य मेडिकल बोर्ड से परीक्षण कराये जाने का क्रम निर्धारित है. स्वास्थ्य परीक्षण में पुलिस सेवा हेतु अयोग्य घोषित किये जाने पर अभ्यर्थी यदि असंतुष्ट रहता है, तो वह संभागीय स्तर मेडिकल बोर्ड से अपील का आवेदन दे सकेगा, जिस पर उसका संभागीय स्तर मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा. जिला एवं संभागीय स्तर मेडिकल बोर्ड के अभिमत में भिन्नता होने पर विभाग राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड से पुनः परीक्षण करायेगा। प्रत्येक स्तर पर अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण के समय आवश्यक रूप से एक नामांकित राजपत्रित पुलिस अधिकारी उपस्थित रहेगा.स्वास्थ्य परीक्षण की वीडियोग्राफी कराई जाएगी.

(14) आरक्षण:-

i. श्रेणियॉं : सीधी भर्ती के लिए आरक्षण के लिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनूसचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 का पालन करते हुए, विज्ञापित कुल पदों की आरक्षण अनुसार पदवार तालिका निम्नानुसार है, आरक्षण को वर्टिकल (लंबवत) श्रेणियों में विभाजित किया गया है जैसे- अनुसूचित जाति (एससी),अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछडा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) वर्ग. प्रत्येक वर्टिकल श्रेणी को आगे हॉरीजोन्टल (क्षैतिज) श्रेणियों में विभाजित किया गया है जैसे-होमगार्ड तथा भूतपूर्व सैनिक श्रेणियां:-

| श्रेणियां | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|---|---|---|---|---|
| ओपन | UO | BO | CO | TO | EO |
| भूतपूर्व सैनिक (10%) | UX | BX | CX | TX | EX |
| होमगार्ड (15%) | UG | BG | CG | TG | EG |
| योग- | UT | BT | CT | TT | ET |
| आरक्षण $ (%) | 27 | 27 | 16 | 20 | 10 |

$ विज्ञापन जारी करते समय शासकीय आदेश के अनुसार होगा.

II. गृह (पुलिस) विभाग व्दारा म.प्र. शासन के ज्ञापन क्रमांक 556/128/96/ब-2/दो, दिनांक 31 जनवरी 1996, के अधीन पुलिस आरक्षक की भर्ती में होमगार्डों का 15 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है, जिसका पालन किया जाएगा। यह आरक्षण केवल आरक्षक (बैण्ड) संवर्ग भर्ती में लागू है। इसे संबंधित वर्टिकल श्रेणियों की हॉरीजोन्टल श्रेणी में विभाजित किया जाएगा।

III. सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) म.प्र. शासन का 21 अप्रैल 1999 का असाधारण राजपत्र आदेश के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए तृतीय श्रेणी शासकीय सेवा में 10 प्रतिशत आरक्षण का पालन किया जाएगा. इसे सम्बंधित वर्टिकल श्रेणियों की होरीज़ोंटल श्रेणी में विभाजित किया जाएगा.

IV. गृह (पुलिस) विभाग, म.प्र. शासन के ज्ञापन क्रमांक एफ 2 (3) 541/92-बी-4-दो भोपाल दिनांक 04.04.1995 व्दारा पुलिस विभाग को निःशक्तजनों के लिए आरक्षण से छूट दी गयी है.

V. सभी आरक्षण और आयु सीमा में छूट मध्य प्रदेश के अधिवास के संदर्भ में हैं.अन्य राज्यों के अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के लिए निर्धारित अर्हताओं के अधीन पात्र होंगे.

VI. आरक्षण के आधार पर चयन का आधार माननीय उच्चतम न्यायालय के निम्न निर्णयों पर आधारित है-

क. इन्द्रा साहनी विरुद्ध भारत संघ (संदर्भ:- 1992 SUPP(3) SCC-217)

ख. अनिल कुमार गुप्ता विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य) संदर्भ :1995 (2)SUPP, SCR-396-1995 (5) SCC-173

ग. रमेश राम विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य (सिविल अपील क्र. 4310-4311 OF 2010)

घ. राजेश कुमार डारिया विरुद्ध राजस्थान लोक सेवा आयोग (संदर्भ:- अपील (सिविल) 3132/2007)

ड. सत्य प्रकाश विरुद्ध भारत संघ (संदर्भ:- अपील (सिविल) 5505-5507/2003)

च. दीपा ई वी बनाम भारत संघ [सिविल अपील न. 3609/2017]

छ. सौरव यादव बनाम उ.प्र.राज्य [विशेष अनुमति याचिका (सिविल) क्र. 23223/2018].

VII. शासन व्दारा आरक्षण के संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के तहत पद सुरक्षित होंगे. अंतिम चयन के समय में वास्तविक रिक्त पदों की स्थिति को देखते हुये विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है।

VIII. अनारक्षित वर्टिकल श्रेणी:- यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सामान्य श्रेणी एक वर्ग नहीं है, यह खुली प्रतियोगिता श्रेणी है और सभी उम्मीदवार जिन्होंने आयु या शिक्षा में कोई छूट नहीं ली है, वे अपने उच्च अंकों के आधार पर अनारक्षित (UR) श्रेणी में स्थान पाने के पात्र हैं, भले ही किसी आरक्षित श्रेणी विशेष के अधीन उन्होंने आवेदन किया हो,

IX. अनारक्षित हॉरीजोन्टल श्रेणी:-

क. अनारक्षित होमगार्ड सभी हॉरीजोन्टल श्रेणियों यथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पुलिस अभ्यार्थियों का समायोजन किए हुए होगी जैसे कि अनारक्षित पुरुषों के लिए लागू है.

ख. अनारक्षित भूतपूर्व सैनिक सभी हॉरीजोन्टल श्रेणियों यथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों का समायोजन किए हुए होगी जैसे कि अनारक्षित पुरुषों के लिए लागू है.

X. **आरक्षित वर्टिकल श्रेणी:-**

**क.** किसी भी आरक्षित वर्टिकल श्रेणी यथा OBC/ST/SC/EWS, के अभ्यर्थी जिनके अंक अनारक्षित वर्टिकल (UR) श्रेणी के कट ऑफ अंक से कम नहीं हैं परंतु उन्होंने उम्र, शैक्षणिक योग्यता अथवा शारीरिक योग्यता में छूट का लाभ लिया है तो उनकी गणना केवल आरक्षित श्रेणी में ही होगी.

XI. **आरक्षित हॉरीजोन्टल श्रेणी:-** प्रत्येक वर्टीकल श्रेणी के भीतर हॉरीजोन्टल आरक्षण श्रेणियाँ है, जैसे-होमगार्ड या भूतपूर्व सैनिक इसके लिए, केवल उन्हीं योग्य अभ्यर्थियों पर चयन हेतु विचार किया जा सकता है जिन्होंने द्वतीय चरण की बैण्ड वादन परीक्षा में न्यूनतम अर्ह अंक पाए हों जो कि उनकी अपनी-अपनी वर्टीकल श्रेणी यथा UR/OBC/ST/SC/EWS के कट ऑफ अंक ही हो सकते हैं। द्वितिय चरण में हॉरीजोन्टल आरक्षित श्रेणियों के लिए पृथक से कट ऑफ अंक निर्धारित नहीं किए जाएंगे।

**क.** भूतपूर्व सैनिक को उनकी संबंधित वर्टिकल श्रेणी में "ओपन प्रकोष्ठ" अभ्यर्थी के रूप में नहीं चुना जा सकता है।

**ख.** होमगार्ड या भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिए हॉरीजोन्टल आरक्षित पदों पर योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने की दशा में इस प्रकार शेष रहे पदों को उस वर्टिकल श्रेणी के ओपन प्रकोष्ठ के अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।

**(ग)** मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक 07-11 /2019 /आ.प्र./एक दिनांक 02 जुलाई 2019 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यूएस) के लिए सीधी भर्ती के प्रकरण पर उद्धृत होने वाली रिक्तियों 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है एवं संशोधन आदेश एफ-07-11/2019/आ.प्र.एक भोपाल, दिनांक 18 जुलाई, 2019 के अनुसार ।

XII. परीक्षा का अंतिम परिणाम आने के पूर्व सीधी भर्ती में आरक्षण के संबंध में यदि सामान्य प्रशासन विभाग व्दारा कोई संशोधन किया जाता है, तो नवीन संशोधन का पालन किया जाएगा.

(15) चयन :-

चयन सूची से सेवा में नियुक्ति-

i. शारीरिक नापजोख के लिये बुलाये गये अभ्यर्थियों के समस्त मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में सफल होने पर ही अभ्यर्थियों को चयन की पात्रता होगी। अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों के परीक्षण में यदि अयोग्य पाया जाता है, तो उसका चयन नहीं किया जाएगा, भले ही वह द्वितीय चरण की बैण्ड वादन परीक्षा में सफल रहा हो।

ii. बैण्ड भर्ती परीक्षा में बैण्ड वादन परीक्षा एवं साक्षात्कार में कुल प्राप्तांकों के योग के आधार पर सफल हुए उम्मीदवारों की प्रावीण्य सूची (मेरिट लिस्ट) बनाई जायेगी, परन्तु केवल उन्ही उम्मीदवारों पर नियुक्ति के लिए विचार किया जावेगा जिन्होने बैण्ड वादन टैस्ट में न्यूनतम अंक प्राप्त किये हों।

iii. सर्वप्रथम प्रतियोगियों में से अनारक्षित पदों के लिये योग्य उम्मीदवारों की सूची बनाई जायेगी। इस सूची में आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ ई.डब्ल्यू.एस.) के वे पुरुष उम्मीदवार भी शामिल होंगे, जो किसी भी छूट के बिना (शुल्क की छूट के अतिरिक्त) चाहे वो उम्र, शैक्षणिक योग्यता अथवा या शारीरिक माप हो, अनारक्षित श्रेणी के कट ऑफ अंक से अधिक अंक पाता है।

iv. यह सूची बनाने के बाद अनारक्षित भूतपूर्व सैनिकों के लिये हॉरीजोन्टल आरक्षण को प्रभावी किया जायेगा। अनारक्षित भूतपूर्व सैनिको में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जनजाति (ST),अनुसूचित जाति (SC) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थी भी शामिल होंगे। त्रुटि रहित प्रावीण्य सूची में अनारक्षित भूतपूर्व सैनिकों की हॉरीजोन्टल श्रेणी के कटऑफ अंक किसी भी आरक्षित श्रेणी के भूतपूर्व सैनिकों से सदैव अधिक होंगे। योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर इनके लिये आरक्षित पद कैरी फारवर्ड नहीं होंगे, बल्कि योग्य उम्मीदवार न मिलने की दशा में उतने पद अनारक्षित श्रेणी के ओपन अभ्यर्थियों से भरे जायेंगे। चयन सूची में यदि पहले से अनारक्षित श्रेणी के ओपन अभ्यर्थियों में 15 प्रतिशत होमगार्ड सैनिक एवं 10 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिक मेरिट के आधार पर उपलब्ध होंगे, तो पृथक से और आरक्षण नहीं दिया जायेगा।

v. शेष उम्मीदवारों में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस. के उम्मीदवारों की उनकी अपनी-अपनी वर्टिकल आरक्षित श्रेणी के लिये विज्ञापित पदों के लिये पृथक-पृथक सूचियां बनाई जायेगी।

vi. ये सूचियां बनाने के बाद संबंधित आरक्षित श्रेणी- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस. में होमगार्ड सैनिकों एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए हॉरीजोन्टल आरक्षण को प्रभावी किया जायेगा। योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर इनके लिये आरक्षित पद कैरीफारवर्ड नहीं होंगे, बल्कि योग्य उम्मीदवार न मिलने की दशा में उतने पद संबंधित आरक्षित श्रेणी के शेष रहे ओपन अभ्यर्थियों से भरे जायेंगे। चयन सूची में यदि पहले से संबंधित आरक्षित श्रेणी के ओपन अभ्यर्थियों में 15 प्रतिशत होमगार्ड सैनिक एवं 10 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिक मेरिट के आधार पर उपलब्ध होंगे, तो पृथक से और आरक्षण नहीं दिया जायेगा।

vii. समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की आपसी सह वरिष्ठता आयु के आधार पर निर्धारित की जावेगी, अर्थात समान अंक प्राप्त करने वाले जिस उम्मीदवार की आयु अधिक होगी वह मेरिट क्रम में समान अंक प्राप्त करने वाले कम आयु वाले उम्मीदवार से ऊपर रहेगा.

(16) **प्रतीक्षा सूची:-** सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र-सी-3-9/2016/1-3 दिनांक 10.10.2016 अनुसार विज्ञापित पदों की संख्या के 15 प्रतिशत अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची बनाई जायेगी, जो कि परिणाम घोषित होने से एक वर्ष अथवा नवीन परीक्षा के परिणाम घोषित होने तक (जो भी पहले हो) प्रभावी रहेगी। रिक्त रहे पदों की पूर्ति इस प्रतीक्षा सूची से की जा सकेगी।

(17) **प्रमाण पत्रों की जांच :-**

i. प्रथम चरण के अंतर्गत प्रमाण पत्रों की जांच की कार्यवाही पुलिस मुख्यालय व्दारा गठित चयन समितियों व्दारा सम्पन्न की जावेगी। स्थान एवं दिनांक की सूचना ई-मेल, एसएमएस एवं व्हाट्सऐप के माध्यम से पृथक से दी जावेगी ।

ii. आवेदक अपने साथ निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र/दस्तावेज (डाक्यूमेंट) और उनकी प्रतियों लेकर आएँगे एवं दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करेंगे:

क. जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल या इण्टरमीडियेट (10+2) की अंक सूची जिसमें जन्मतिथि लिखी हो,

ख. शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र,

ग. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैरक्रीमीलेयर) एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सभी उम्मीदवार शासन व्दारा निर्धारित प्रारूप में, मध्यप्रदेश अधिवासी (domicile) सहित, सक्षम अधिकारी व्दारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम, कार्यालय, प्रमाण पत्र क्रमांक एवं जारी दिनांक इत्यादि इसमें सुस्पष्ट होना चाहिये, प्रमाण-पत्र हेतु निर्धारित प्रपत्र इस नियमावली के साथ भी प्रकाशित किये जा रहे हैं।

घ. स्वयंसेवी नगर सैनिक तथा नगर सेना के नॉन कमीशन्ड अधिकारियों अभ्यर्थियों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट के लिये सक्षम प्राधिकारी व्दारा जारी किये नगर सेना की कम से कम तीन वर्ष की सेवा काल पूर्ण करने का प्रमाण पत्र,

ङ. भूतपूर्व सैनिकों के मामले में मध्य प्रदेश अधिवासी (domicile) सहित, सेना की सेवा का प्रमाण पत्र,

च. पूर्व से नियोजित उम्मीदवारों को उनके नियोक्ता के व्दारा जारी सेवा में होने का प्रमाण पत्र,

छ. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किसी दम्पति में से उच्च जाति के पति पत्नी अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट के लिये सक्षम प्राधिकारी व्दारा जारी किये गये मध्य प्रदेश अधिवासी (domicile) सहित, पुरुस्कार सम्बन्धी प्रमाण पत्र,

ज. "विक्रम पुरस्कार" प्राप्त अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा में छूट "विक्रम पुरस्कार" हेतु पुरुस्कार सम्बन्धी प्रमाण पत्र,

झ. विवाहित अभ्यर्थियों को उनके बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र,

ञ. नियोजक का अनापति प्रमाण पत्र केवल पूर्व से नियोजित उम्मीदवार के लिये,

ट. यात्रा किराया के भुगतान चाहने वाले अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी अपने बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ की फ़ोटोकॉपी साथ में लेकर आएँ और प्रस्तुत करे.

iii. दस्तावेज सत्यापन के समय सभी दस्तावेजों की स्वयं व्दारा प्रमाणित फोटोप्रति तथा मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे. अप्रमाणित प्रति को मान्य नहीं किया जायेगा. इस नियम पुस्तिका में वर्णित विभिन्न प्रारूपों के अतिरिक्त भी यदि कोई संबंधित प्रारूप शेष रह जाता है तो वह शासन के व्दारा जारी किए गए प्रारूप के अनुसार होगा.

(18) **यात्रा किरायाः -**

बैण्ड वादन परीक्षा एवं साक्षात्कार आदि में सम्मिलित होने पर केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को शासन के आदेशानुसार वास्तविक यात्रा किराया दिया जायेगा. यात्रा टिकट प्रस्तुत न करने की स्थिति मे अभ्यर्थी के पते के जिले में जाने वाली ट्रेन या बस का किराया, जो भी न्यूनतम हो, का भुगतान किया जाएगा. यह किराया बैण्ड वादन परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को उनके जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के बाद दिया जाएगा. इसके लिए आवश्यक है की यात्रा किराया के भुगतान चाहने वाले अभ्यर्थी अपने बैंक खाते की पास बुक के प्रथम पृष्ठ की फ़ोटोकॉपी साथ में लेकर आएँ।

(19) **अंतिम चयन :**

i. आरक्षक (बैण्ड) संवर्ग के अभ्यर्थियों का बैण्ड वादन परीक्षा में न्यूनतम अर्ह अंक लाने पर एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंको के योग के आधार पर, प्रावीणता सूची तैयार कर अंतिम चयन होगा।

ii. भर्ती परीक्षा में कुल प्राप्तांको के योग के आधार पर सफल हुये उम्मीदवारों की प्रावीण्य सूची (मेरिट लिस्ट) बनाई जायेगी। सर्वप्रथम सभी वर्ग के प्रतियोगियों में से अनारक्षित पदों के लिये योग्य उम्मीदवारों की सूची बनाई जायेगी। इस सूची मे आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस.) के वे उम्मीदवार भी शामिल होंगे जो किसी भी छूट के बिना (शुल्क की छूट के अतिरिक्त) चाहे वो उम्र, शैक्षणिक योग्यता हो, अनारक्षित श्रेणी के कटऑफ अंक से अधिक अंक पाता है। शेष उम्मीदवारों में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस. के उम्मीदवारों की उनकी अपनी-अपनी वर्टिकल श्रेणी के लिए विज्ञापित पदों के लिए पृथक-पृथक सूचियाँ बनाई जायेंगी।

iii. ये सूचियां बनाने के बाद होमगार्ड, एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिये हॉरीजोण्टल आरक्षण को प्रभावी किया जायेगा.

iv. समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की आपसी सह वरिष्ठता आयु के आधार पर निर्धारित की जावेगी. अर्थात समान अंक प्राप्त करने वाले जिस उम्मीदवार की आयु अधिक होगी वह मेरिट क्रम में समान अंक प्राप्त करने वाले कम आयु वाले उम्मीदवार से ऊपर रहेगा.

v. आरक्षक (बैण्ड) के पद पर चयनित उम्मीदवारों को उनके मेरिट क्रम के अनुसार इकाइयों का आवंटन पुलिस मुख्यालय व्दारा किया जाएगा.

**(20) चरित्र सत्यापन :-**

i. कोई अभ्यर्थी चरित्र सत्यापन प्रपत्र में यदि कोई तथ्यात्मक जानकारी छुपाता है या कोई गलत जानकारी देता है, तो उसे सेवा के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा. सेवा में नियुक्ति के बाद इस संबंध में यदि यह तथ्य पता चलता है तो उसे कोई अन्य नोटिस दिये बिना उसे,सेवा से हटा दिया जाएगा. प्रतिकूल चरित्र सत्यापन के मामले में, नियुक्ति के लिए या सेवा में बने रहने का अभ्यर्थी का कोई अधिकार नहीं होगा और ऐसे व्यक्तियों के नाम चयनसूची से हटा दिए जाएंगे.

ii. गृह विभाग, मध्यप्रदेश शासन के आदेश क्रमांक एफ-17-01/2017/दो/सी-2 दिनांक 24 जुलाई 2018 के आधार पर चरित्र सत्यापन किया जाएगा.

iii. चरित्र सत्यापन के लिए चयन के मामले में मार्गदर्शन सिद्धांत माननीय सर्वोच्च न्यायालय व्दारा मेहर सिंह विरुद्ध कमिश्नर ऑफ पुलिस-विशेष अनुमति याचिका (सिविल) क्र. 38886/2012, में निर्धारित मापदण्ड अनुसार होंगे.

**(21) नियुक्ति :-**

i. नियुक्ति के उपरान्त प्रत्येक चयनित उम्मीदवार को तीन वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा एवं निर्धारित प्रशिक्षण पर भेजा जावेगा.

ii. अभ्यर्थियों को आयु, शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण के प्रावधानों, शारीरिक नापजोख, बैण्ड वादन परीक्षा, चरित्र सत्यापन, चिकित्सकीय परीक्षण, सभी में पूर्णतः योग्य पाये जाने पर ही नियुक्ति प्राप्त करने की पात्रता होगी। अभ्यर्थियों को पद संवर्ग एवं पदों की उपलब्धता तथा प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार इकाई आवंटित की जाएंगी।

iii. अभ्यार्थियों को विसबल मुख्यालय द्वारा आवश्यकता अनुसार इकाई आवंटित की जायेगी। म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक सी 3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अनुसार वेतन न्यूनतम प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, व्दितीय वर्ष 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत स्टायपेड देय होगा. दिये गये समस्त संवर्गों के वेतन के अलावा समय समय पर शासन व्दारा

स्वीकृत अन्य भत्ता तथा परिलब्धियाँ देय होंगी। म.प्र. शासन वित विभाग के ज्ञाप क्र.एफ-9/3/2003/नियम 4 दिनांक 13.4.2005 एवं एफ-9/डी/2003 नियम 4 दिनांक 02.07.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू की गई है।

iv. जिस पद के लिये चयन किया जायेगा केवल उसी पद पर नियुक्ति के लिये विचार किया जा सकेगा और उसी में आगे पदोन्नति/पदस्थापना की जावेगी.

v. निर्धारित प्रशिक्षण से स्थायी या अस्थायी छूट का कोई प्रावधान नहीं है. प्रशिक्षण पर निर्धारित समय में उपस्थित न होने वाले चयनित उम्मीदवारों का नाम चयन सूची से हटा दिया जायेगा नियुक्ति प्रस्ताव वापस ले लिया जावेगा। इस संबंध में मेडिकल प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

vi. जो अभ्यर्थी जिस इकाई में नियुक्त किया जाएगा वहाँ उसे कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करनी होगी, उसके बाद ही वह अन्य इकाईयों में स्थानांतरण का पात्र हो सकेगा.

vii आरक्षक (बैण्ड) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को गृह जिले में पदस्थापना नहीं दी जाएगी।

viii प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न शारीरिक तथा बौद्धिक प्रशिक्षण, वाध्ययंत्रों का प्रशिक्षण, कवायद आदि का प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसमें किसी वजह से कोई क्षति होने पर विभाग जिम्मेदार नहीं होगा. प्रशिक्षण में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रशिक्षण सफलतापूर्वक उतीर्ण करना अनिवार्य होगा। अनुतीर्ण अभ्यर्थी को प्रशिक्षण उतीर्ण करने के लिए एक अवसर प्रदान किया जायेगा।

(22) **सामान्य निर्देश:-**

i. चयन सूची के जारी होने से पहले या बाद में किसी स्तर पर, यदि विसबल मुख्यालय, मध्यप्रदेश के संज्ञान में कोई कम्प्यूटर/ लिपिकीय त्रुटि आती है, तो विसबल मुख्यालय को उसे सुधारने का अधिकार होगा.

ii. विज्ञापित पदों की संख्या में विसबल मुख्यालय व्दारा कमी या वृद्धि की जा सकती है। परिवर्तन की स्थिति में न तो अलग से आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे और न ही अभ्यार्थियों व्दारा प्रस्तुत किये गये पहले से भरे हुए आवेदनों में संशोधन मांगा जावेगा.

iii. यदि कोई आवेदक चयन सूची जारी होने से पहले या बाद में किसी भी स्तर पर अपात्र पाया जाता है या यदि उसके व्दारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है, तो उसकी उम्मीदवारी/चयन रद्द किया जा सकता है.

iv. चयन परीक्षा का सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जावेगा। यह भर्ती समाप्त होने के तीन वर्ष बाद नष्ट कर दिया जावेगा। केवल वही सुरक्षित रखा जावेगा, जिसकी कोई जॉच चल रही हो अथवा प्रस्तावित हो ।

v. आरक्षक (बैण्ड) के पद पर भर्ती प्रक्रिया जीओपी-147/2019 एवं संशोधन दिनांक 10.12.2025 के अनुसार सम्पन्न की जायेगी ।

23/03/26

सहायक पुलिस महानिरीक्षक (विसबल)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल